रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937
No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 30, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

का.आ.190(अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में देश के सभी जिलों में लघु खनिजों के खनन के लिए प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए), (जिसे इसमें इसके पश्चात जिलों के लिए प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	जिला मजिस्ट्रेट या जिले का जिला कलक्टर	—अध्यक्ष
2.	जिले में ज्येष्ठतम प्रभागीय वन अधिकारी	—सदस्य
3.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ सदस्य	—सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय अधिकारी	—सदस्य-सचिव

2. जिलों के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य जिले में उक्त पदों पर अपनी पदावधि के दौरान पद धारण करेंगे और विशेषज्ञ सदस्यों सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा।

3. जिलों के लिए प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. जिलों के लिए प्राधिकरण अपने विनिश्चय को इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन गठित जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति की सिफारिशों पर आधारित करेगा।

5. जिलों के लिए प्राधिकरण की सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति, देश के सभी जिलों के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीईएसी कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	ज्येष्ठतम कार्य पालक इंजीनियर, सिंचाई विभाग	अध्यक्ष
2.	ज्येष्टतम उप प्रभागीय अधिकारी (वन)	सदस्य
3.	सुदूर संवेदन विभाग या जियोलोजी विभाग या राज्य भूजल विभाग का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रतिनिधि	सदस्य
4.	जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यवसायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5.	जिला परिषद् से इंजीनियर	सदस्य
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य
8.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य
9.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य
10.	ज्येष्टतम सहायक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
11.	जिले में सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिला खान अधिकारी या भूगर्भविद, उसी क्रम में	सदस्य-सचिव

6. डीईएसी के अध्यक्ष और सदस्य जिले में अपनी पदावधि के दौरान पद धारण करेंगे तथा गैर शासकीय सदस्यों सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. डीईएसी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो उक्त राजपत्र की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. डीईएसी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. जिले का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर डी.ई.ए.सी. के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगा और अभिकरण सभी संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत परिवहन, वास-सुविधा और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

10. जिलों के लिए प्राधिकरण के गैर शासकीय सदस्य बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता के हकदार होंगे जिसका संदाय संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

[सं. जेड-11013/98/2014-आईए-II (एम)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2016

S.O.190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA), for grant of environmental clearance for Category 'B2' Projects for mining of minor minerals, for all the districts in the country (hereinafter referred to as Authority for the districts) comprising of the following members, namely:—

1. District Magistrate or District Collector of the district —Chairperson
2. Senior most Divisional Forest Officer in the district —Member
3. An expert member to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of the Forest —Member
4. Sub-Divisional Magistrate or Sub-Divisional Officer of the district head quarter —Member-Secretary

2. The Chairperson and official members of the Authority for the districts shall hold office during their tenure in the district on said posts and the expert member shall hold office for a period of three years from the date of nomination by the competent authority.

3. The Authority for the districts shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for the districts shall base its decision on the recommendations of the District Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 of this notification.

5. For the purposes of assisting the Authority for the districts, the Central Government hereby constitutes the District Level Expert Appraisal Committee for all the districts of the country (hereinafter referred to as DEAC for the district) comprising of the following members, namely:-

1.	Senior most Executive Engineer, Irrigation Department	—Chairperson
2.	Senior most Sub-Divisional Officer (Forest)	—Member
3.	A representative of Remote Sensing Department or Geology Department or State Ground Water Department to be nominated by the District Magistrate or District Collector	—Member
4.	Occupational health expert or Medical Officer to be nominated by the District Magistrate or District Collector	—Member
5.	Engineer from Zila Parishad	—Member
6.	A representative of State Pollution Control Board or Committee	—Member
7.	An expert to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest	—Member
8.	An expert to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest	—Member
9.	An expert to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest	—Member
10.	Senior most Assistant Engineer, Public Works Department	—Member
11.	Assistant Director or Deputy Director or District Mines Officer or Geologist in the district in that order	—Member- Secretary

IndiaCode

6. The Chairperson and the official members of the DEAC shall hold office during their tenure in the district and the non-official members shall hold office for three years from the date of their nomination by the competent authority.

7. The DEAC shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The DEAC shall function on the principles of collective responsibility and the Chairperson shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The District Magistrate or District Collector of the district shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for the districts and DEAC. The agency shall provide all logistic support including transportation, accommodation, and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The non-official members of the Authority for districts and the DEAC shall be entitled to such sitting fees, travelling allowance and dearness allowance which shall be paid in accordance with the concerned rules of the respective State Governments.

[No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.